उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-442/77-3-23-94भा0/07टी.सी.
लखनऊः दिनांकः 27 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-6, सन् 1976) की धारा-3 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2484/77-3-11-94भा0-07टी0सी0, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का आंशिक उपान्तरण करके राज्यपाल "उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण" (यूपीडा) नामक प्राधिकरण का गठन करती हैं जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
(ख)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य-सचिव
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव से नीचे का न हो।	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव के नीचे का न हो।	सदस्य
(ङ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन या उसका नाम निर्देशिती जो संयुक्त सचिव के नीचे का न हो।	सदस्य
(च)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
(छ)	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सहायक सदस्य-सचिव

2. पूर्वोक्त प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ होगा।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र भूषण)
प्रमुख सचिव।

संख्या-442(1)/77-3-23-94भा/07टीसी, तद्दिनांक।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

01. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, पर्यटन भवन, गोमतीनगर लखनऊ।

02. अधिसूचना में उल्लिखित प्राधिकरण के अध्यक्ष व समस्त सदस्यगण।

03. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति की 50 प्रतियां छपवाकर औद्योगिक विकास अनुभाग-3 को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें

04. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)

अनु सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Audyogik Vikas Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 442/LXXVII-03-23-94bha/07 T.C. dated 27 March, 2023

Notification

No. 442/LXXVII-3-23-94bha/07 T.C.
Lucknow; Dated: 27 March, 2023

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act 1976 (U.P. Act no. 6 of 1976) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) and in partial modification of Government Notification no. 2484/77-3-11-94-Bha-07T.C. dated 22nd December, 2011, the Governor is pleased to constitute an authority to be called as the "Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA)" consisting of the following :-

(A)	The Infrastructure & Industrial Development Commissioner to the Government of Uttar Pradesh	Chairman
(B)	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority	Member-Secretary
(C)	Additional Chief Secretary / Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	Member
(D)	Additional Chief Secretary / Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Awas Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	Member
(E)	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary	Member
(F)	The Chief Executive Officer, Uttar Pradesh State Industrial Development Authority, Kanpur	Member
(G)	Additional Chief Executive Officer, Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority	Assistant Member-Secretary

2- The headquarter of the aforesaid Authority shall be at Lucknow.

By order,

(Narendra Bhooshan)
Principal Secretary.